कार्यालय केन्द्रीय नजारत,

जनपद न्यायालय, लखनऊ

नीलामी सूचना दिनांक 13.08.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, लखनऊ के कुछ स्थानो जैसे बहुखण्डी भवन का आंगन, माननीय उच्च न्यायालय पुराना परिसर, यूनियन भवन, एवं केन्द्रीय नजारत अनुभाग के लॉन में निष्प्रयोज्य फायर से सम्बन्धित सामग्री पुराने निष्प्रयोज्य वॉटर कूलर, पुराना टूटा हुआ फर्नीचर एवं लोहे का कबाड़ व अन्य निष्प्रयोज्य सामग्रीयों की नीलामी दिनांक **28.08.2024** को सायंकाल 04:00 बजे मीडिएशन सेन्टर माननीय उच्च न्यायालय पुराना परिसर में होगी। निष्प्रयोज्य सामग्री के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्य अधीक्षक (अ0वि0नि0ई0वि0/याँ) लो0नि0वि0 लखनऊ से प्राप्त आख्या में कार्यालय अधीक्षक, (अ0वि0नि0ई0वि0/यां) लो0नि0वि0 द्वारा मशीन के स्कैप (पुराने एवं अनुपयोगी सामग्री) माइल्ड स्टील स्कैप की दर मु0 36.50/–रू0 प्रतिकिलो0 तथा मशीन के स्कैप (पुराने एवं अनुपयोगी सामग्री) कास्ट आयरन स्कैप की दर मु0 34.50/–रू0 प्रतिकिलो0 बताया गया एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा पुराने फर्नीचर दरवाजे, खिडकियों के फ्रेम तथा अन्य निष्प्रयोज्य लकडियॉ की दर रू0 600.00/–प्रतिकुन्तल बताया गया है। नीलामी समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त वर्णित निष्प्रयोज्य सामग्री की दर से न्यूनतम मूल्य नीलामी हेतु निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त जनपद न्यायालय, लखनऊ के स्थानो जैसे बहुखण्डी भवन का आंगन, माननीय उच्च न्यायालय पुराना परिसर, यूनियन भवन, एवं केन्द्रीय नजारत अनुभाग के लॉन में निष्प्रयोज्य फायर से सम्बन्धित सामग्री पुराने निष्प्रयोज्य वॉटर कूलर, पुराना टूटा हुआ फर्नीचर एवं लोहे का कबाड़ व अन्य निष्प्रयोज्य सामग्रीयों की बोली लगाने हेतु प्रतिभूति के रूप में मु0 15,000/–रू0 की नकद धनराशि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के पुराने परिसर में स्थित इस जनपद न्यायालय के केन्द्रीय नजारत में नीलामी के नियत तिथि के पूर्व दिनांक 27.08.2024 तक जमा होगी। प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 02 से 05 बजे तक जमा करते हुए उससे सम्बन्धित रसीद प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में उसे नीलामी बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त जनपद न्यायालय, लखनऊ के स्थानो जैसे बहुखण्डी भवन का आंगन, माननीय उच्च न्यायालय पुराना परिसर, यूनियन भवन, एवं केन्द्रीय नजारत अनुभाग के लॉन में निष्प्रयोज्य फायर से सम्बन्धित सामग्री पुराने निष्प्रयोज्य वॉटर कूलर, पुराना टूट हुआ फर्नीचर एवं लोहे का कबाड़ व अन्य निष्प्रयोज्य सामग्रीयां खाली जगह पर एकत्र है, जिसे किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह 12:00 से 02:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उपरोक्त पुराने निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी, उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम बोली की धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली की अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि तीन दिवस में

जमा करने के पश्चात् उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामग्रियों को स्थल से तुरन्त उठवाया जायेगा अन्यथा प्रभार के रूप में स्वीकृत बोली 01 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नकद जमा की जायेगी। उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक, ड्राफ्ट व बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृत/ अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकारी माननीय जिला जज, लखनऊ के अधीन सुरक्षित होगा। जो सभी को मान्य होगा।

पुष्कर उपाध्याय, एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर ऐक्ट/
अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट सं0–5,
लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनके कार्यालय स्थित सूचना को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु एवं कार्यालय के सूचना पट पर सूचनार्थ चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित–

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र.........................
2. अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ।
3. कार्यालय मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नाजिर राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य सड़क निगम कैसरबाग, लखनऊ।
7. तहसीलदार तहसील, लखनऊ।
8. नाजिर अमेरिकन लाइब्रेरी, पारिवारिक न्यायालय,लखनऊ।
9. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, लखनऊ।

पुष्कर उपाध्याय, एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर ऐक्ट/
अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट सं0–5,
लखनऊ।